




झारखंड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Duplicate-copy CRSLP9110013

नामांतरण शुद्धि-पत्र

जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	धनबाद	हल्का	हलका-01
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग	6	पृष्ठ संख्या वर्तमान	87	थाना न.	2
वर्तमान(VOL)							
क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व थाना न.	थाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है	कारोबार विस्तृत सूचना
10013	250 /R27 2020 - 2021	नवाडीह/ 2	झरिया	24/06/2020	By Sale Registration Deed 3226 Dated 18/06/2019	खाता न. 101 भाग वर्तमान 2 पृष्ठ संख्या वर्तमान 191	खाता न. 101 प्लॉट न. 40 क्षेत्रफल 3.3 डिसमील
क्रेता का नाम :		जमाबंदी रैयत का नाम :			विक्रेता का नाम :		
(UMESH KUMAR पिता-LT. SHIVNANDAN MANDAL, जाति-कुर्मी, पता-BHULI E BLOCK, SECTOR-3, QTR NO-99, BHULI NAGAR.)		विशाल गुप्ता -पिता-श्रीकान्त गुप्ता			VISHAL GUPTA, पिता-SRIKANT GU पत्ता-M.I.G.B./77 HOUSING COLON' GROUND		
राजस्व कर्मचारी हलका-01 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित   यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।						Signature valid  Digitally signed by PRASANT KUMAR LAYAK अंचलाधिकारी धनबाद	

कोरोना के उड़ जाएंगे प्राण, जब सड़क पर न जाएं इन्सान |

**Duplicate Copy**

05-Nov-2024

**आदेश**

तिथि

Jun 24 2020

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा नवाडीह थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
101	40	0 एकड़, 3.3 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
VISHAL GUPTA	पिता	SRIKANT GUPTA

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 3226 दिनांक MMM d yyyyके द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
विशाल गुप्ता	पिता	श्रीकान्त गुप्ता

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व कागजात के अनुसार दाखिल खारिज आबेदन को स्वीकृत हेतु अनुसंसा किया गया है अत दाखिल खारिज आबेदन को स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **उरुपये**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

**स्वीकृत**

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

PRASANT KUMAR LAYAK

अंचलाधिकारी धनबाद